राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड
'निर्वाचन भवन'
न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची – 834001

Website secjharkhand.nic.in
Email jsec-jhr@nic.in
दूरभाष 0651-2284012 / 9264474491
फैक्स 0651-2280287

संख्याः– 03नि0 / प0–154/ 2022 रा0नि0आ0 545 राँची, दिनांक 9/04/22

प्रेस नोट

विषयः– त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम।

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत निकायों यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2020 के माह दिसम्बर में समाप्त हो चुका है। झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा क्रमशः 25, 46 एवं 61 के उपबंधों के अनुसार यद्यपि इन निकायों की पाँच वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व इनके गठन हेतु आम निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित था, परंतु कोविड–19 जैसे महामारी के कारण इसमें विलम्ब हुआ।

1. **त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र :**

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 138 के उपबंधों के अनुपालन में जनगणना 2011 के सुसंगत आँकड़ों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत निकायों का अद्यतन परिसीमन के पश्चात् स्थिति निम्नवत् है :–

जिलों की कुल संख्या	प्रखण्डों की कुल संख्या	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	ग्राम पंचायत के मुखिया के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या
24	264	4,345	53,479	4,345	5,341	536

2. **मतदाता सूची :**

दिनांक 01.01.2022 की अर्हत्ता तिथि पर दिनांक 05.01.2022 को अंतिम रूप से प्रकाशित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड विधानसभा निर्वाचन हेतु तैयार मतदाता सूची को ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार विखण्डित कर दावा/आपत्ति प्राप्त करते हुए दिनांक 14.02.2022 को अंतिम रूप से

प्रकाशित कर त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, 2022 हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की गई है जिसके अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या निम्नवत् है :–

मतदाताओं की संख्या				
जिला	पुरूष	महिला	अन्य	कुल
24	1,00,70,721	95,45,702	81	1,96,16,504

(विवरणी अनुलग्नक 1 पर संलग्न)

3. **मतदाताओं की पहचान :**

मतदान के समय मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए जिन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र (एपिक) उपलब्ध कराए गए हैं उनकी पहचान एपिक के माध्यम से की जाएगी। परन्तु यदि किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो उसकी पहचान आयोग द्वारा यथा निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से की जा सकती है:

1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र (EPIC)
2. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची
3. पासपोर्ट
4. ड्राईविंग लाइसेंस
5. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
6. बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पास बुक
7. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
8. आधार कार्ड
9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)
10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड
11. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट कार्ड)
12. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

इसके लिए आयोग द्वारा अनुदेश निर्गत किए गए हैं।

4. **मतदान केन्द्र :**

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2022 हेतु मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 14.02.2022 की स्थिति के अनुसार मतदान के लिए 24 जिलों के मतदान केन्द्रों का विवरण निम्न अनुसार है :–

मतदान केन्द्रों की विवरणी						
जिला की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या					मतदान भवनों की संख्या
	सामान्य	संवेदनशील	अति संवेदनशील	कुल	चलन्त	
24	12,821	22,961	17,698	53,480	38	33,627

(विवरणी अनुलग्नक 2 पर संलग्न)

5. **मतदान केन्द्रों में आधारभूत न्यूनतम सुविधाएँ :**

राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 24 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश निर्गत किए हैं कि प्रत्येक मतदान केन्द्र में आधारभूत न्यूनतम सुविधाएँ जैसे पेयजल, शौचालय, निःशक्त मतदाताओं के लिए रैम्प एवं कलस्टर सेन्टर पर प्रकाश आदि की व्यवस्था की जाएगी।

6. **मतदान दल और रैण्डमाईजेशन :**

मतदान दलों का गठन विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैण्डमाईजेशन प्रक्रिया अपना कर किया जाएगा। तीन चरणों वाली रैण्डमाईजेशन प्रक्रिया अपनायी जाएगी। पहले चरण में पात्र कर्मचारियों के अपेक्षाकृत व्यापक जिला डाटाबेस से न्यूनतम 120 प्रतिशत की लघुकृत सूची का चयन किया जाएगा। इस समूह को मतदान डयुटी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरे चरण में, इन प्रशिक्षित कर्मियों में से सामान्य प्रेक्षकों की उपस्थिति में रैण्डम सिलेक्शन द्वारा वास्तविक मतदान दलों का गठन किया जाएगा। तीसरे रैण्डमाईजेशन में मतदान दलों के प्रस्थान के ठीक पहले रैण्डम तरीके से उन्हें मतदान केन्द्र आवंटित किए जाएंगे।

7. **मतपेटिकाएं :**

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन, 2022 में सभी जिलों के मतदान केन्द्रों पर मतपेटिका का इस्तेमाल करके मतदान कराया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त संख्या में मतपेटिकाओं की व्यवस्था आयोग द्वारा की गयी है। प्रति मतदान केन्द्र 2 बड़ी या 01 बड़ी और 02 मध्यम आकार की मतपेटिका का उपयोग किया जाएगा। निर्वाचन कार्य हेतु राज्य में उपलब्ध मतपेटिकाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :–

कुल मतपेटिकाओं की संख्या (10% सुरक्षित सहित)		
जिला	बड़ी मतपेटिकाएँ	मध्यम आकार की मतपेटिकाएँ
24	98,081	39,928

8. **अभ्यर्थियों के शपथ पत्र/स्वघोषणा पत्र के सभी कॉलम भरे जाने हैं :**

वर्ष 2008 की रिट याचिका (सिविल) सं0 121 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 को पारित निर्णय के अनुसरण में अन्य बातों के साथ–साथ निर्वाची पदाधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह इस बात की जाँच करें कि क्या अपेक्षित सूचना, शपथ पत्र/स्वघोषणा पत्र नाम

निर्देशन पत्र दाखिल करते समय पूरी तरह उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र/स्वघोषणा पत्र में अभ्यर्थियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे सभी कॉलम को भरें। शपथ–पत्र/स्वघोषणा पत्र में यदि कोई कॉलम खाली छोड़ा जाता है तो निर्वाची पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थी को इस संबंध में नोटिस जारी करेंगे। ऐसे नोटिस के उपरान्त भी यदि अभ्यर्थी सभी दृष्टिकोण से पूर्ण शपथ पत्र/स्वघोषणा पत्र दाखिल करने में विफल रहता है तो संवीक्षा के समय उसके नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकेगा।

9. <u>संचार योजना</u> :

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के सुचारू रूप से संचालन के लिए जिला/निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एक उपयुक्त संचार योजना बनाने एवं उसका क्रियान्वयन करने और मतदान के दिन उसे पूरी तरह से कारगर बनाने के लिए सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को यह निदेश दिया है कि वे दूरसंचार विभाग के अधिकारियों एवं अन्य अग्रणी सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करें ताकि राज्य में नेटवर्क की स्थिति का आकलन किया जा सके और संचार शैडो एरिया की पहचान कर वैकल्पिक संचार व्यवस्था की जा सके।

10. <u>वीडियोग्राफी</u> :

सभी महत्वपूर्ण आयोजनों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त संख्या में वीडियोग्राफी दलों का गठन करेंगे। वीडियोग्राफी किए जाने वाले आयोजनों में नाम निर्देशन दाखिल करना, उनकी संवीक्षा करना, प्रचार अभियान के दौरान महत्वपूर्ण बैठकें, सभा, जुलूस आदि शामिल हैं।

11. <u>विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बलों की तैनाती</u> :

निर्वाचनों के संचालन में विस्तृत सुरक्षा प्रबंधन शामिल होता है। इसमें मतदान कर्मियों की सुरक्षा, मतदान केन्द्रों की सुरक्षा, मतदान सामग्रियों की सुरक्षा और निर्वाचन प्रक्रिया की समग्र सुरक्षा भी सुनिश्चित करना शामिल है। मतदाताओं, विशेषकर अतिसंवेदनशील मतदाताओं जैसे कमजोर वर्ग आदि के मन में भरोसा कायम करने के लिए मतदान से पहले, क्षेत्र में सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की जाती है। आयोग ने ऐसे परिवेश का निर्माण करके निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचनों को सुनश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए हैं। जिसमें प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी बाधा या बिना किसी अनुचित रूप से प्रभावित/भयभीत हुए मतदान केन्द्र तक पहुंच सके। जमीनी स्थिति के आकलन के आधार पर सशस्त्र पुलिस बल का इन निर्वाचनों के दौरान तैनात किया जाएगा, जिसका उपयोग मतदान केन्द्रों की सुरक्षा करने और मतदान के दिन निर्वाचकों और मतदान कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावे इन बलों को स्ट्राँग रूमों की सुरक्षा के लिए भी प्रयुक्त किया जाएगा। इनका मतगणना केन्द्रों की सुरक्षा के लिए तथा जरूरत पड़ने पर अन्य प्रयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा।

12. **कमजोर वर्ग के मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान करना :**

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(vii) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित रीति से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी किंतु जो पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा है कि वे इन उपबंधों को, इन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई किए जाने के लिए, सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

13. **सामान्य प्रेक्षक :**

आयोग निर्वाचनों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में अनुमंडल स्तर पर 45 सामान्य प्रेक्षकों को तैनात करेगा। प्रेक्षकों से कहा जाएगा कि वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर पैनी नजर रखेंगे। उनके नाम, जिला/निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पते और उनके टेलीफोन/मोबाइल नम्बरों का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार किया जाएगा ताकि सामान्य जन किसी भी प्रकार की शिकायत का निवारण करने के लिए उनसे शीघ्रतापूर्वक सम्पर्क कर सकें। प्रेक्षकों को तैनात किए जाने से पूर्व आयोग द्वारा उनकी विस्तारपूर्वक ब्रीफिंग की जाएगी।

14. **निर्वाचन व्यय का अनुश्रवण :**

अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के प्रभावी अनुश्रवण के प्रयोजनार्थ उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों का गठन किया जाना तथा आयकर विभाग आदि के अन्वेषण निदेशालयों की सहभागिता लेना शामिल है। राज्य उत्पाद–शुल्क विभागों और पुलिस प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मदिरा और मादक पदार्थों के उत्पादन वितरण, बिक्री और भंडारण पर नजर रखें।

अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर पैनी नजर रखने के लिए अनुमंडल स्तर पर 45 व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान टॉल फ्री नम्बरों के साथ नियंत्रण कक्ष तथा शिकायत अनुवीक्षण केन्द्र काम करेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण यथारूप में किया है :

क्रमांक	अभ्यर्थी	निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा
1.	सदस्य, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र	14,000 रूपये
2.	ग्राम पंचायत के मुखिया	85,000 रूपये
3.	सदस्य, पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	71,000 रूपये
4.	सदस्य, जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	2,14,000 रूपये

15. **पेड–न्यूज :**

पेड न्यूज संबंधी मामले पर कार्रवाई करने के लिए जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों का गठन किया जाएगा।

16. **अधिकारियों का आचरण :**

आयोग, निर्वाचनों के संचालन में कार्यरत सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने कर्त्तव्यों का निष्पक्ष रूप से, बिना किसी भय या पक्षपात के निर्वहन करें। निर्वाचन के दौरान उन्हें आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे। सभी सरकारी अधिकारियों का आचरण, जिन्हें निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारी और कर्त्तव्य सौंपे गए हैं, निरंतर आयोग की संवीक्षा के अधीन रहेगा तथा उन अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिनके कार्य निष्पादन में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाएगी।

17. **जिला निर्वाचन योजना :**

निर्वाचनों के संचालन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पुलिस अधीक्षक के परामर्श से रूट योजना और संचार/यातायात योजना सहित व्यापक जिला निर्वाचन योजना तैयार करने को कहा गया है। इन योजनाओं में संवेदनशील मतदान केन्द्रों का पता लगाकर और अति संवेदनशील मानचित्रण पर विचार करते हुए सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

18. **आदर्श आचार संहिता :**

आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता के सभी उपबंध झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण हिस्सों (नगरपालिका एवं कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र को छोड़कर) के साथ–साथ सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और झारखण्ड राज्य सरकार पर लागू होंगे। केन्द्र/राज्य सरकार की किसी भी पुरानी योजना का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगा जिसमें टैण्डर की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत की योजनाओं के कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता के दायरे में आयेंगे।

आदर्श आचार संहिता के दिशा–निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने विस्तृत व्यवस्थाएं की है। इन दिशा–निर्देशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन से कड़ाई से निपटा जाएगा और आयोग इस संबंध में पुनः बल देता है कि इस बारे में समय–समय पर जारी अनुदेशों को सभी राजनैतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्त्ताओं/प्रतिनिधियों द्वारा पढ़ा व समझा जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की आशंका या सूचना के अभाव अथवा समझने/व्याख्या की कमी से बचा जा सके।

19. **जिला गजट में यथासंशोधन :**

पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या–685, दिनांक–01.04.2022 के निर्देशानुसार जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिला गजट में अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यथारूप में महिला/अन्य, जिसके लिए जो अधिसूचित पद हों, उसे अनारक्षित (open category seats) के रूप में मानते हुए तद्नुसार सभी निर्वाचन प्रक्रिया की कार्रवाई की जाएगी।

20. **कोविड–19 से संबंधित दिशा–निर्देश का अनुपालन :**

निर्वाचन के दौरान कोविड–19 के संदर्भ में सरकार तथा जिला प्रशासन के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन संबंधित जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–उपायुक्त करायेंगे।

21. **मतगणना :**

राज्य के जिलों को दो से लेकर चार चरणों में बांट कर निर्वाचन सम्पन्न कराया जा रहा है, जिसमें प्रखण्डों को ईकाई माना गया है। पहले एवं दूसरे चरण के मतदान की समाप्ति के पश्चात् ही चरणवार मतगणना का कार्य सम्पन्न करा लिया जाएगा तथा तीसरे एवं चौथे चरण की मतगणना चौथे चरण के मतदान की समाप्ति के पश्चात् एक साथ कराई जाएगी।

22. **निर्वाचन की अनुसूची :**

आयोग ने सभी संगत पहलुओं यथा मौसम संबंधी परिस्थिति, दिशा–निर्देश शैक्षिक कैलेण्डर, त्यौहारों, राज्य में विद्यमान कानून और व्यवस्था की स्थिति, पुलिस बलों की उपलब्धता, आवाजाही के लिए अपेक्षित समय, परिवहन तथा बलों की समुचित तैनाती तथा अन्य बुनियादी वास्तविकताओं पर विचार करते हुए राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन करवाने के लिए अनुसूचियाँ तैयार की है।

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के सम्बद्ध उपबंधों के अधीन झारखण्ड राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, 2022 के लिए निर्वाचन चरणवार कार्यक्रम एवं अन्य विवरणी अनुलग्नक 3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक : यथावर्णित।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह० 9/4/22

(राधे श्याम प्रसाद)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।

त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के निर्वाचन, 2022 हेतु जिला परिषदवार मतदाताओं की सख्या एंव प्रतिशंत

क्र0सं0	जिला परिषद का नाम	सम्बंधित जनसंख्या (2011)	मतदान केद्रों की कुल सख्या	मतदाताओं की कुल सख्या				मतदाताओं का प्रतिशत	महिला मतदाताओं का प्रतिशत
				पुरुष	महिला	तृतीय लिंग	कुल		
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
1	I गढ़वा[1]	1225651	2448	479137	433176	0	912313	74.43	47.48
2	II पलामू[1]	1651845	3305	636443	579390	1	1215834	73.60	47.65
3	III लातेहार[2]	699997	1396	256546	245916	0	502462	71.78	48.94
4	IV चतरा	979932	1960	374115	340379	0	714494	72.91	47.64
5	V हजारीबाग	1537029	3078	618053	563823	1	1181877	76.89	47.71
6	VI कोडरमा	579228	1163	223462	205320	9	428791	74.03	47.88
7	VII गिरीडीह	2229612	4460	820557	743519	14	1564090	70.15	47.54
8	VIII देवघर	1233712	2458	462007	413953	1	875961	71.00	47.26
9	IX गोड्डा[1]	1234670	2471	456259	428813	0	885072	71.68	48.45
10	X साहेबगंज[2]	1015706	2023	355408	335534	3	690945	68.03	48.56
11	XI पाकुड़[2]	854582	1704	295364	296894	0	592258	69.30	50.13
12	XII दुमका[2]	1256735	2518	453072	450463	1	903536	71.90	49.86
13	XIII जामताड़ा[2]	721164	1449	269317	251912	0	521229	72.28	48.33
14	XIV धनबाद	1476507	2952	566251	514186	15	1080452	73.18	47.59
15	XV बोकारो	1475740	2958	586002	541815	7	1127824	76.42	48.04
16	XVI रामगढ़	736787	1461	288654	261811	0	550465	74.71	47.56
17	XVIIलोहरदगा[2]	404379	803	153520	151312	0	304832	75.38	49.64
18	XVIII गुमला[2]	973949	1947	344040	342646	0	686686	70.51	49.90
19	XIX खूँटी[2]	495495	990	184746	189293	1	374040	75.49	50.61
20	XX राँची[2]	1819772	3631	701021	683852	17	1384890	76.10	49.38
21	XXI सिमडेगा[2]	556634	1110	204943	207379	0	412322	74.07	50.30
22	XXII पश्चिमी सिंहभूम[2]	1401413	2791	491647	511233	4	1002884	71.56	50.98
23	XXIII सरायकेला खरसावाँ[2]	833193	1656	317950	317253	2	635205	76.24	49.94
24	XXIV पूर्वी सिंहभूम[2]	1372784	2748	532207	535830	5	1068042	77.80	50.17
योग		**26766516**	**53480**	**10070721**	**9545702**	**81**	**19616504**	**73.29**	**48.66**

1 आंशिक अनुसूचित क्षेत्र

2 संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र

अनुलग्नक 2

त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के निर्वाचन हेतु संवेदनशीलता/भवनों की सख्या सम्बन्धी विवरणी (**Summary Sheet**)

क्र0सं0	चरण	प्रत्येक चरण में जिलों की कुल संख्या	प्रखण्डों की कुल संख्या	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	सामान्य		संवेदनशील		अति संवेदनशील		कुल	
					मतदान केद्रों की सख्या	भवनों की सख्या	मतदान केद्रों की सख्या	भवनों की सख्या	मतदान केद्रों की सख्या	भवनों की सख्या	मतदान केद्रों की सख्या	भवनों की सख्या
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रथम चरण	21	72	1127	2925	1961	5704	3525	5450	3356	14079	8842
2	द्वितीय चरण	16	50	872	2463	1656	4451	2821	3700	2389	10614	6866
3	तृतीय चरण	19	70	1047	3087	2054	6021	3761	3804	2275	12912	8090
4	चतुर्थ चरण	23	72	1299	4346	2728	6785	4179	4744	2922	15875	9829
कुल		**24**	**264**	**4345**	**12821**	**8399**	**22961**	**14286**	**17698**	**10942**	**53480**	**33627**

अनुलग्नक–3

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

क्रमांक	कार्यक्रम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण
1.	राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना	**09.04.2022**			
2.	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशन की तारीख	16.04.2022	20.04.2022	25.04.2022	29.04.2022
3.	नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	23.04.2022	27.04.2022	02.05.2022	06.05.2022
4.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	25.04.2022 एवं 26.04.2022	28.04.2022 से 30.04.2022	04.05.2022 एवं 05.05.2022	07.05.2022 एवं 09.05.2022
5.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	27.04.2022 एवं 28.04.2022	02.05.2022	06.05.2022 एवं 07.05.2022	10.05.2022 एवं 11.05.2022
6.	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से कार्य पूर्ण होने तक)	29.04.2022	04.05.2022	09.05.2022	12.05.2022
7.	मतदान की तारीख (प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	14.05.2022	19.05.2022	24.05.2022	27.05.2022
8..	मतगणना की तारीख (प्रातः 8:00 बजे से)	17.05.2022	22.05.2022	31.05.2022	31.05.2022

अनुलग्नक 3क

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के चरणवार प्रखण्डों का नाम

क्र0सं0	जिला का कोड एवं नाम	प्रथम चरण 14.05.2022	द्वितीय चरण 19.05.2022	तृतीय चरण 24.05.2022	चतुर्थ चरण 27.05.2022	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	I गढवा	13 चिनियाँ		01 खरौंधी	04 काण्डी	
		17 रंका		02 केतार	05 बरडीहा	
		18 रमकण्डा		03 भवनाथपुर	06 मझिआँव	
		19 भण्डरिया		07 विशुनपुरा	12 डंडई	
		20 बड़गड़		08 रमना	14 मेराल	
				09 नगरउँटारी	15 गढ़वा	
				10 सगमा	16 डंडा	
				11 धुरकी		
2	II पलामू	01 मोहम्मदगंज	06 नवडीहा बाजार	17 मनातु	08 पाण्डु	
		02 हैदरनगर	07 छतरपुर	18 तरहसी	10 विश्रामपुर	
		03 हुसैनाबाद	11 नावाबाजार	19 नीलाम्बर पीताम्बरपुर (लेस्लीगंज)	13 चैनपुर	
		04 पिपरा	12 पड़वा	20 सतबरवा	14 रामगढ़	
		05 हरिहरगंज	16 पाटन	21 पांकी	15 मेदिनीनगर	
		09 उटॉरीरोड				
3	III लातेहार	04 सरयु	01 बरवाडीह	07 बालुमाथ	02 गारू	
		06 लातेहार	05 मनिका	08 बारियातु	03 महुवाडांड़	
		10 चन्दवा		09 हेरहंज		
4	IV चतरा	01 प्रतापपुर	03 लावालौंग	06 कान्हाचट्टी	10 पत्थलगढ़ा	
		02 कुन्दा	05 हंटरगंज	07 ईटखोरी	11 सिमरिया	
		04 चतरा		08 मयुरहंड	12 टण्डवा	
				09 गिद्धौर		
5	V हजारीबाग	01 चौपारण		05 ईचाक	07 कटकमसांडी	
		02 बरही		10 दारू	08 कटकमदाग	
		03 बरकट्ठा		13 टाटीझरिया	09 हजारीबाग	
		04 चलकुशा		14 विष्णुगढ़	11 केरेडारी	
		06 पदमा		15 डाड़ी	12 बड़कागाँव	
				16 चुरचू		
6	VI कोडरमा		01 सतगाँवा		03 कोडरमा	
			02 डोमचाँच		04 चन्दवारा	
			06 मरकच्चो		05 जयनगर	
7	VII गिरिडीह	04 जमुआ	01 गांवा	05 धनवार	08 बगोदर	
		11 गिरिडीह	02 तिसरी	06 बिरनी	09 डुमरी	
		13 गाण्डेय	03 देवरी	07 सरिया	10 पीरटांड़	
			12 बेंगाबाद			
8	VIII देवघर	01 देवघर		03 सारवाँ	07 मारगोमुण्डा	
		02 मोहनपुर		04 सोनाराय ठाढ़ी	09 सारठ	
		05 देवीपुर		06 मधुपुर	10 पालोजोरी	
				08 करौं		
9	IX गोड्डा	07 गोड्डा	04 महागामा		01 मेहरमा	
		08 पोड़ैयाहाट	05 बसंतराय		02 ठाकुरगंगटी	
		09 सुन्दर पहाड़ी	06 पथरगामा		03 बोआरीजोर	
10	X साहेबगंज	03 बोरियो		02 मंडरो	01 साहेबगंज	
		08 पतना		05 तालझारी	04 बरहेट	
		09 बरहरवा		07 उधवा	06 राजमहल	
11	XI पाकुड़		03 हिरणपुर		01 लिट्टीपाड़ा	
		04 पाकुड़	05 महेशपुर		02 आमड़ापाड़ा	
					06 पाकुड़िया	

12	XII दुमका	02 रामगढ़		05 दुमका	01 सरैयाहाट	
		03 गोपीकान्दर		08 मसलिया	06 जामा	
		04 काठीकुंड		09 रानेश्वर	07 जरमुण्डी	
		10 शिकारीपाड़ा				
13	XIII जामताड़ा		01 नरायणपुर		03 जामताड़ा	
			02 करमाटांड़ विद्यासागर		05 नाला	
			04 फतेहपुर		06 कुण्डहित	
14	XIV धनबाद	01 तोपचाँची	06 बाघमारा	08 बलियापुर	04 निरसा	
		02 टुण्डी	07 धनबाद	09 कलियासोल	05 गोविन्दपुर	
		03 पूर्वी टुण्डी		10 एगारकुण्ड		
15	XV बोकारो	01 गोमिया	02 बेरमो	03 नावाडीह	08 चास	
		05 पेटरवार	06 कसमार	04 चन्द्रपुरा	09 चन्दनकियारी	
			07 जरीडीह			
16	XVI रामगढ़	04 दुलमी		02 पतरातु	01 मांडू	
		05 चितरपुर		03 रामगढ़		
		06 गोला				
17	XVII लोहरदगा	01 पेशरार		03 कुडू	04 कैरो	
		02 किस्को		06 सेन्हा	05 लोहरदगा	
					07 भण्डरा	
18	XVIII गुमला	05 रायडीह	01 विशुनपुर	02 डुमरी	06 पालकोट	
		09 सिसई	07 गुमला	03 अलबर्ट एक्का जारी	11 बसिया	
		10 भरनो	08 घाघरा	04 चैनपुर	12 कामडारा	
19	XIX खूँटी		01 कर्रा		04 खूँटी	
			02 तोरपा		05 मुरहू	
			03 रनियाँ		06 अड़की	
20	XX राँची	14 बुण्डू	05 बेड़ो	11 ओरमांझी	01 खलारी	
		15 राहे	06 लापुंग	12 अनगड़ा	02 बुढ़मू	
		17 सोनाहातु	07 इटकी	13 नामकुम	03 चान्हो	
		18 तमाड़	08 नगड़ी	16 सिल्ली	04 माण्डर	
			10 कांके		09 रातु	
21	XXI सिमडेगा	01 कुरडेग	04 ठेठईटांगर	07 कोलेबिरा	09 बांसजोर	
		02 केरसई	05 सिमडेगा	08 जलडेगा	10 बानो	
		03 बोलबा				
		06 पाकरटांड़				
22	XXII पश्चिमी सिंहभूम	02 बंदगाँव	01 गुदड़ी	10 खूँटपानी	15 हाटगम्हरिया	
		03 चक्रधरपुर	06 आनंदपुर	11 चाईबासा	16 जगन्नाथपुर	
		04 सोनुवा	07 मनोहरपुर	12 झींकपानी	17 कुमारडुंगी	
		05 गोईलकेरा	08 नोवामुण्डी	13 तांतनगर	18 मझगाँव	
			09 टोन्टो	14 मंझारी		
23	XXIII सरायकेला–खरसावाँ	01 ईचागढ़		05 कुचाई		
		02 कुकड़ू		06 खरसावाँ		
		03 नीमडीह		07 सरायकेला		
		04 चाण्डिल		08 गम्हरिया		
				09 राजनगर		
24	XXIV पूर्वी सिंहभूम	05 घाटशिला	09 धालभूमगढ़	01 बोड़ाम	03 गोलमुरी सह जुगसलाई	
		06 मुसाबनी	10 चाकुलिया	02 पटमदा		
		07 डुमरिया	11बहरागोड़ा	04 पोटका		
		08 गूड़ाबान्दा				
कुल	24	72	50	70	72	

अनुलग्नक 3ख

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के निर्वाचन हेतु चरणवार, कोटिवार आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी

(Summry Sheet)

चरण	पद एंव स्थानों का नाम	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक/क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग से अनारक्षित किये गये पद		अनारक्षित		महिलाओं के लिए कुल आरक्षित	
			F	O	F	O	F	O	F	O	संख्या	%
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
प्रथम चरण	जिला परिषद सदस्य	146	10	5	34	26	13	9	28	21	85	58.22
	पंचायत समिति सदस्य	1405	101	66	250	220	122	93	294	259	767	54.59
	ग्राम पंचायत मुखिया	1127	59	42	312	278	67	47	171	151	609	54.04
	ग्राम पंचायत सदस्य	14079	1029	550	2466	2024	1252	820	3296	2642	8043	57.13
	योग	**16757**	**1199**	**663**	**3062**	**2548**	**1454**	**969**	**3789**	**3073**	**9504**	**56.72**
द्वितीय चरण	जिला परिषद सदस्य	103	10	6	15	16	13	7	19	17	57	55.34
	पंचायत समिति सदस्य	1059	73	52	198	173	95	76	208	184	574	54.20
	ग्राम पंचायत मुखिया	872	46	39	257	229	45	38	114	104	462	52.98
	ग्राम पंचायत सदस्य	10614	772	422	2003	1678	924	583	2383	1849	6082	57.30
	योग	**12648**	**901**	**519**	**2473**	**2096**	**1077**	**704**	**2724**	**2154**	**7175**	**56.73**
तृतीय चरण	जिला परिषद सदस्य	128	6	7	21	16	14	11	26	27	67	52.34
	पंचायत समिति सदस्य	1290	94	65	222	192	131	97	259	230	706	54.73
	ग्राम पंचायत मुखिया	1047	59	41	283	249	63	50	160	142	565	53.96
	ग्राम पंचायत सदस्य	12911	983	524	2243	1811	1201	793	2996	2360	7423	57.49
	योग	**15376**	**1142**	**637**	**2769**	**2268**	**1409**	**951**	**3441**	**2759**	**8761**	**56.98**
चतुर्थ चरण	जिला परिषद सदस्य	159	13	7	26	24	13	13	33	30	85	54.09
	पंचायत समिति सदस्य	1587	112	76	275	243	149	111	329	292	865	54.51
	ग्राम पंचायत मुखिया	1299	72	54	349	316	77	61	196	174	694	53.43
	ग्राम पंचायत सदस्य	15875	1170	648	2676	2167	1489	993	3745	2987	9080	57.20
	योग	**18920**	**1367**	**785**	**3326**	**2750**	**1728**	**1178**	**4303**	**3483**	**10724**	**56.68**
सभी चरण	जिला परिषद सदस्य	536	39	25	96	82	53	40	106	95	294	54.85
	पंचायत समिति सदस्य	5341	380	259	945	828	497	377	1090	965	2912	54.52
	ग्राम पंचायत मुखिया	4345	236	176	1201	1072	252	196	641	571	2330	53.62
	ग्राम पंचायत सदस्य	53479	3954	2144	9388	7680	4866	3189	12420	9838	30628	57.27
	योग	**63701**	**4609**	**2604**	**11630**	**9662**	**5668**	**3802**	**14257**	**11469**	**36164**	**56.77**